रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01072025-264253 SG-DL-E-01072025-264253

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 105 IN. C. T. D. No. 105

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 6 जून 2025

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 33 के अंतर्गत 'डीपीटीए, 1994' की धारा 8 के संबंध में वृक्ष अधिकारियों को निर्देश

फा सं.8 (277)/वन/टीसी/धारा-8(डीपीटीए)/2025-26/3177: दिल्ली वृक्ष पिरक्षिण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में एतद् द्वारा डीपीटीए, 1994 की धारा 8 के संबंध में वृक्ष अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश देती है।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 की धारा 8 में निम्नलिखित बताया गया है : –

4160 DG/2025 (1)

"8. वृक्षों की कटाई और निष्कासन पर प्रतिबन्ध – इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में की गई व्यवस्था के अलावाए इस समय लागू किसी अन्य कानून अथवा किसी परंपरा अथवा दस्तूर या सर्विंदा में किसी बात के होते हुए, कोई भी व्यक्ति वृक्ष अधिकारी की पूर्वानुमित के बिना किसी भी भूमि में से चाहे वह उसके स्वामित्व में हो या उसके अधिकार में अथवा अन्यथा हो, किसी वृक्ष अथवा वनोपज को नहीं काटेगाए उसका निष्कासन नहीं करेगा या उसको नहीं बेचेगा;

बशर्ते यदि वृक्ष को तत्काल नहीं काटा गया और उससे जान माल या यातायात के लिए गंभीर खतरा पैदा होने की सम्भावना होए तो भू-स्वामी ऐसे वृक्ष को काटने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है और उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर संबधित वृक्ष अधिकारी को देगा।"

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 8 के उपर्युक्त परन्तुक को ध्यान में रखते हुए, सामान्य परिस्थितियों की एक सांकेतिक सूची, जिसमें डीपीटीए, 1994 की धारा 8 का परन्तुक स्पष्ट रूप से लागू होता है, वृक्ष अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए नीचे दी गई है:

- 1.1. यदि किसी सड़क, पुल, अंडरपास, ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज आदि के मार्गाधिकार में वृक्ष खड़े हैं या उग रहे हैं, जिससे जीवन और संपत्ति को खतरा हो, निर्बाध यातायात में बाधा उत्पन्न हो, संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित हो और / या लोगों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी भूमि का मालिक या अधिभोगी ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाएगा / छंटाई करेगा और वृक्ष अधिकारी को सूचना देगा।
- 1.2. यदि कोई वृक्ष किसी नाले के मार्गाधिकार पर इस प्रकार खड़ा है या बढ़ रहा है कि पानी का बहाव बाधित हो रहा है, नाले की सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा रखरखाव/सफाई किर्मियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो नाला स्वामित्व वाली एजेंसी को ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाना/छंटाई करनी होगी तथा वृक्ष अधिकारी को सूचित करना होगा।
- 1.3. यदि कोई वृक्ष सीवर लाइन के मार्गाधिकार में या सीवर लाइन पर इस प्रकार खड़ा है या बढ़ रहा है, जिससे सीवर का प्रवाह बाधित हो रहा है, सीवर लाइन की सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, सीवर लाइन को क्षित हो रही है और/या रखरखाव/सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो सीवर स्वामित्व वाली एजेंसी को ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाना/छंटाई करनी होगी और वृक्ष अधिकारी को सूचित करना होगा।
- 1.4. यदि कोई वृक्ष किसी विरासत भवन/संरचना के पिरसर में आता है या इस प्रकार बढ़ता है कि इससे उसकी संरचनात्मक सुरक्षा को खतरा हो और उसके पुनरूद्धार में बाधा उत्पन्न हो और/या अनुरक्षण/पुनरूद्धार किमेयों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो, तो स्वामी/एजेंसी ऐसे वृक्षों को तत्काल हटा/छंटाई कर सकेगा और वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकेगा।

- 1.5. यदि किसी आवासीय/कार्यालयीन/वाणिज्यिक आदि भवन के परिसर में कोई वृक्ष आता है या बढ़ता है, या भवन के बालकोनी/छाजों/दीवारों आदि में इस प्रकार से फैल जाता है, जिससे भवन/दीवार की संरचनात्मक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और/या उसके निवासियों की सुरक्षा को खतरा हो जाता है, तो भूमि स्वामित्व एजेंसी/व्यक्ति/आवासीय सोसायटियों के मामले में आरडब्लूए, स्वामित्व के संबंध में स्व—प्रमाणन के पश्चात ऐसे वृक्षों को तत्काल हटा/छंटाई कर सकेंगे और वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकेंगे।
- 1.6. यदि रेलवे ट्रैक / मेट्रो स्थापना के मार्गाधिकार में वृक्ष इस प्रकार आते हैं, जिससे सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, निर्बाध यातायात बाधित होता है, संरचनात्मक सुरक्षा प्रभावित होती है और / या लोगों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो भूमि स्वामित्व वाली एजेंसी ऐसे पेड़ों को तुरंत हटा / छंटाई कर सकेगी और वृक्ष अधिकारी को सूचित कर सकेगी।
- 1.7. सूखे या मृत वृक्षों, अस्थिर ढंग से झुके हुए वृक्षों, तूफान या अन्य किसी स्थिति में गिरने की आशंका वाले वृक्षों के मामले में, भूमि—स्वामित्व एजेंसी / व्यक्ति ऐसे वृक्षों को तुरंत हटाने / छंटाई करने में सक्षम होंगे तथा वृक्ष अधिकारी को सूचित करेंगे।

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अनुसार, ऐसे वृक्षों की कटाई के 24 घंटे के भीतर भूमि—स्वामित्व वाली एजेंसी, व्यक्ति, आरडब्ल्यूए आदि द्वारा अपेक्षित सूचना संबंधित वृक्ष अधिकारी को दी जानी चाहिए। यह डीपीटीए ई—फॉरेस्ट पोर्टलः https://dpta.eforest.delhi.gov.in पर भू—निर्देशांक सहित वृक्ष की कम से कम तीन तरफ की अलग—अलग एक तस्वीर तथा कटाई के औचित्य के साथ, निष्पादन के पश्चात् एक अन्य तस्वीर अपलोड करने के माध्यम से किया जा सकता है। वृक्ष अधिकारी इसे अधिनियम की धारा 8 के परन्तुक के अनुसार अनुपालन के रूप में स्वीकार करेंगे। वृक्ष अधिकारी स्वतः भी भूमि—स्वामित्व वाली एजेंसी को निर्देश जारी कर सकते हैं और यदि वे निरीक्षण क्षेत्र के नियमित दौरे के दौरान किसी भी ऐसे खतरनाक वृक्ष को देखते हैं, तो वे स्वयं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इन मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य केवल ऊपर बताई गई परिस्थितियों में सद्भावपूर्ण कार्रवाई को सुगम बनाना है। यद्यपि, अगर बाद में यह देखा जाता है कि किसी ने इस प्रावधान का दुरुपयोग किया है, तो उस पर संबंधित वन कानूनों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिपुल पाठक, अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE NOTIFICATION

Delhi, the 6th June, 2025

DIRECTIONS TO TREE OFFICERS UNDER SECTION 33 OF THE DELHI PRESERVATION OF TREES ACT (DPTA), 1994 REGARDING SECTION 8 OF THE 'DPTA, 1994'

No.F.8(277)/Forest/TC/Sec-8(DPTA)/2025-26/3177:- In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi, in public interest, hereby, gives the following directions to Tree Officers, regarding Section 8 of the 'DPTA, 1994'.

Section 8 of the Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 states the following: -

"8. **Restrictions on felling and removal of trees.** -Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage or contract and except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall fell or remove or dispose of any tree or forest produce in any land, whether in his ownership or occupancy or otherwise, except with the previous permission of the Tree Officer:

Provided that if the tree is not immediately felled, there would be grave danger to life or property or traffic, the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the Tree Officer within twenty-four hours of such felling."

In view of the above-mentioned proviso of Section 8 of the DPTA, 1994, an indicative list of general situations wherein the proviso of Section 8 of the DPTA, 1994 is unambiguously applicable, is given below for the guidance of Tree Officers:

- 1.1. If trees stand on or grow in the right of way of a road, bridge, underpass, over bridge, foot over bridge etc. in a manner that poses danger to life and property, obstructs free flow of traffic, affects structural safety and / or is detrimental to the safety of people, the owner or occupier of such land shall be able to remove / prune such trees immediately and inform the Tree Officer.
- 1.2. If tree stands on or grows on the right of way of a drain in a manner that hampers the flow of water, obstructs desilting of the drain and is detrimental to the safety of maintenance / cleaning personnel, the drain owning agency shall be able to remove / prune such trees immediately and inform the Tree Officer.
- 1.3. If trees stands on or grows in the right of way of a sewer line or on the sewer line itself, in a manner, that hampers the flow of sewer, obstructs desilting of the sewer line, damages the sewers line and / or is detrimental to the safety of maintenance / cleaning personnel, the sewer owning agency shall be able to remove / prune such trees immediately and inform the Tree Officer.
- 1.4. If tree falls within the precinct of a heritage building / structure or grows in a manner, that endangers its structural safety and hampers its restoration and / or is detrimental to the safety of maintenance / restoration personnel, the owner /agency shall be able to remove/prune such trees immediately and inform the Tree Officer.
- 1.5. If tree falls or grows in or on the precinct of any building residential / official / commercial etc., or extends into the Balconies / chhajas / walls etc. of the building in a manner, that endangers structural safety of the building / wall and / or threatens the safety of its inhabitants, the land owning agency / individual / RWAs in case of housing societies, after self-certification regarding ownership, shall be able to remove/prune such trees immediately and inform the Tree Officer.
- 1.6. If trees falls in the right of way of a Railway Track / Metro Installation in a manner, that hampers security, obstructs free flow of traffic, affect structural safety and/or is detrimental to the safety of

people, the land- owning agency shall be able to remove/prune such trees immediately and inform the Tree Officer.

1.7. In case of dried up or dead trees, trees leaning in a precarious manner, being vulnerable to fall in the event of a storm or otherwise, the land-owning agency / individual shall be able to remove / prune such tree immediately and inform the Tree Officer.

The requisite information must be reported to the concerned Tree Officer by the land-owning agency, individual, RWA etc., within 24 hours of the felling / cutting of such trees, as per Section 8 of the DPTA, 1994. This may be done by way of uploading a photograph of the tree from at least three different sides, along with geo-coordinates and the justification for felling, accompanied by another photograph after the execution, on the DPTA e-Forest Portal: https://dpta.eforest.delhi.gov.in. The Tree Officer shall accept it as compliance in accordance with proviso of Section 8 of the Act. The Tree Officer may also, suo motu, issue directions to the land-owning agency and shall take necessary action on their own if they notice any such dangerous tree during the course of inspection / routine field visits.

These SOPs are intended only to facilitate bona fide action in the circumstances enumerated above. However, if at a later stage it is found that anyone has misused this provision, he / she will be liable for action under relevant forest laws.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, BIPUL PATHAK, Addl. Chief Secy. (Environment & Forests)